)[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 7/2022- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2022

सा.का.नि. .....(अ) .- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः -

(क) अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 9 और 22 के समक्ष, कॉलम (3) में "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि

"दही, लस्सी, छाछ, उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 27, 29, 30ख, 45, 46क के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 46ख के समक्ष, कॉलम (3) में "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74 और 75 के समक्ष, कॉलम (3) में, “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 77 और 78 के समक्ष, कॉलम (3) में, “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि

“(i) सभी प्रकार के गुड, जिसमें गन्ने से प्राप्त होने वाले गुड (सामान्य गुड), पलमेरा गुड भी आते हैं उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो;

(ii) खांडसारी चीनी उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 95 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द “मुर्की के नाम से ज्ञात है” के पश्चात शब्द “उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 97क के समक्ष, कॉलम (3) में, “यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 99 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द “शुद्धीकृत” को निरसित किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 108 के समक्ष, कॉलम (3) में “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 118 और 122 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 132क के समक्ष, कॉलम (3) में, “जो यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ii) 'प्री- पेकेज्ड और लेबल’ वाक्यांश का अर्थ 'प्री-पैकेज्ड कमोडिटी' है जिसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में में किये गए पैकेज जिसमें माल पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।”.

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 190354/172/2022-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-॥ खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2021 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 दिसंबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 896(अ), दिनांक 28 दिसंबर, 2021, को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- ॥ खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।